नार्थ –ईस्ट को मिल जाएगी और यह इंटरनेट बंद हो जाएगा, मतलब दोनों में से एक ही टैक्नीकली संभव है बंद करना हमारी मंशा नहीं है बल्कि हमारी मंशा तो ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना है। मुझे लगता है कि इंटरनेट टेलिफोनी सेवा का निर्णय भी नार्थ-ईस्ट के पक्ष में होने को मदद कर सकता है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन हिमाचल प्रदेश को आवंटित धनराशि

*165. **श्री अनिल शर्मा:** क्या प्रधान मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-01 के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना औऱ प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन हिमाचल प्रदेश को जिला-वार और निर्वाचन क्षेत्र –वार कितनी राशि आवंटित की गई है,

(ख) कार्य-वार आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है और उक्त राशि में से किन-किन कार्यों के लिए धन आवंटित किया गया है ,और

(ग) सड़कों के लिए जिला-वार कितनी राशि स्वीकृत और खर्च की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क)से(ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क)वर्ष 2000-1 के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) और प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अधिन हिमाचल प्रदेश को क्रमश: 70.61 करोड़ रुपये तथा 2.68 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गई निधियों का जिलावार आबंटन विवरण-1 में दिया गया है (नीचे देखिए) ।आबंटन निर्वाचन क्षेत्रवार नहीं किये जाते हैं।

(ख) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के विभिन्न घटकों के अधीन आबंटित की गई राशि निम्न प्रकार से थी :-

प्राथमिक शिक्षा	-	17.10
पोषण	-	9.40
प्राथमिक स्वास्थ्य	-	13.34
ग्रामीण पेयजल	-	30.77
ग्रामीण आश्रय	-	-
	कुल	70.61

प्रधान मंत्री रोज़गार योजना के अधीन इसके संभाव्य स्थिति वाले घटकों को आबंटित की गई

प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अधीन इसके संभाव्य स्थिति वाले घटकों को आबंटित की गई राशि 2.68 लाख रुपये थी। इसके अन्य दो घटकों अर्थात् प्रशिक्षण एवं समवर्ती मूल्यांकन के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की गई थी।

(ग) वर्ष 2000-01 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन आबंटित राशि 60 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार द्वारा निधियों का जिला-वार आबंटन विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2000-01 को दौरान प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन जिला-वार आबंटन/जारी की गई निधियां

(लाख रूपये)

जिले का नाम	प्राथमिक शिक्षा	पोषण	ग्रामीण पेयजल	प्राथमिक स्वास्थ	ग्रामीण आश्रय
बिलासपुर	25.00	70.80	76.40	जिलावार	आबंटन नहीं की या गया
चम्बा	164.00	72.18	133.60	कोई आबंटन नहीं किया गया है	
हमीर पुर	15.00	42.90	121.25		
कांगड़ा	110.00	180.91	357.80		
किन्नौर	9.00	16.49	-		
कुल्लू	78.00	64.41	74.40		
लाहौल व स्पिति	21.00	4.10	-		
मण्डी	126.00	199.52	286.20		
शिमला	118.00	82.63	276.65		
सिरमौर	139.00	83.68	171.75		
सोलन	35.00	62.04	119.36		
उना	15.00	60.20	90.50		
			1708.01		
			600.00**		
			769.00**		
कुलः	855.00	939.86	3077.01	1334.00	

*अनुरक्षण (एकबारगी प्रावधान)

** हैण्ड पम्प (एकबारगी प्रावधान)

प्राथमिक शिक्षा के लिए जारी निधियां प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण से संबंधित है। पोषण का जिला-वार ब्यौरा व्यय से संबंधित है।

विवरण-II

वर्ष 2000-01 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन निधियों का जिला-वार आबंटन

(करोड़ रु०)

बिलासपुर	2.75
चम्बा	5.60
हमीरपुर	6.20
कांगड़ा	13.00
किन्नौर	3.00
कुल्लू	3.00
लाहौल व स्पिति	1.30
मण्डी	8.10
शिमला	6.00
सिरमौर	3.25
सोलन	4.00
उना	3.80
कुलः	60.00

Funds allocated under PMRY and PMGY to H.P.

† * 165. SHRI ANIL SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the district-wise and the constituency-wise amounts allocated to Himachal Pradesh under the Pradhan Mantri Gramodaya Yojana and the Pradhan Mantri Rozgar Yojana during the year 2000-01;

(b) the details of the work-wise amount allocated togetherwith the works for which the same have been allocated out of the said amount; and

(c) the amount approved and spent on roads, district-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the House.

† Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) The amounts allocated to Himachal Pradesh under the Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (PMGY) and the Pradhan Mantri Rozgar Yojana (PMRY) during the year 2000-01 were Rs. 70-61 crore and Rs. 2.68 lakh, respectively. The district-wise allocation of funds under PMGY made by the State Government is given at Statement-I (See below). Allocations are not made constituency-wise.

(b) The amounts allocated under different Components of Pradhan Mantri Gramodaya Yojana were, as follows:

(Rs. crore)

Primary Education	17.10
Nutrition	9.40
Primary Health	13.34
Rural Drinking Water	30.77
Rural Shelter	—
TOTAL:	70.61

The amount allocated under Prime Minister's Rozgar Yojana for its Contingency component was Rs. 2.68 lakh. No funds were allocated for its other two components, *viz.* Training and Concurrent evaluation.

(c) The amount allocated under Prime Minister's Gram Sadak Yojana during 2000-01 stood at Rs. 60 crore. The district-wise allocation of funds made by the State Government is at Statement-II.

Statement-I

District-wise allocation/released of funds under PMGY during 2000-01

(Rs. lakh)

Name of Districts	Primary Eudcation	Nutrition	Rural Drinking Water	Primary Health	Rural Shelter
Bilaspur	25.00	70.80	76.40	No	No
Chamba	164.00	72.18	133.60	district-	Allocation
Hamirpur	15.00	42.90	121.25	wise	has been
Kangra	110.00	180.91	357.80	allocation made	
Kinnaur	9.00	16.49	—	have	

Name of Districts	Primary Eudcation	Nutrition	Rural Drinking Water	Primary Health	Rural Shelter
LahauI & Spiti	21.00	4.10	—	made	
Mandi	126.00	199.52	286.20		
Shimla	118.00	82.63	276.65		
Sirmaur	139.00	83.68	171.75		
Solan	35.00	62.04	119.36		
Una	15.00	60.20	90.50	1708.01 600.00* 769.00**	
TOTAL :	855.00	939.86	3077.01	1334.00	

* Maintenance (one-time provision)

**Hand pump (one-time provision)

The funds released for Primary Education relates to construction of primary school buildings.

The district-wise details of Nutrition relates to expenditure.

Statement-D

District-wise allocation of funds under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana during 2000-01

(Rs. crore)

Bilaspur	2.75
Chamba	5.60
Hamirpur	620
Kangra	13.00
Kinnaur	3.00
Kullu	3.00
Lahaul& Spiti	130
Mandi	8.10
Shimla	6.00
Sirmaur	325
Solan	4.00
Una	3.80
TOTAL:	60.00

श्री अनिल शर्मा: चेयरमैन सर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में वर्ष 2000-01 के लिए 70.61 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार को दिया है और अपने ही जवाब में उन्होंने यह भी कहा है कि "Allocations are not made constituency-wise" तो मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न इसलिए भी है कि बहुत से सांसद् विधायक भी रहे हैं और मैं इस बात को सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आपने जो शिक्षा के प्रति, न्यूट्रीशन के प्रति, प्राइमरी हेल्थ आदि के बारे में पैसा प्रदेश सरकार को दिया है, इसका आवंटन, जैसा कि आपने कहा है कि जिलेवार आवंटन किया जाता है और उसके बाद इसका कोई भी ध्यान विधान सभा क्षेत्रों के बारे में नहीं रखा जाता, इससे एक प्रश्न उठता है, जिसका जवाब माननीया मंत्री जी देंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन के समय जो डिस्ट्रीक्ट कलैक्टर हैं, वे ही इसका डिस्ट्रब्यूशन करते हैं, उस समय न ही किसी विधायक को इसके बारे में सूचना होती है और न ही किसी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को इसके बारे में सूचना होती है? इस आवंटन के बारे में मैं एक और बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि ग्राम सड़क योजना के बारे में जो पिछली बार 60 करोड़ रुपया दिया गया था, उस योजना के अंतर्गत रुरल डिवेलपमेंट ब्लॉक के माध्यम से ही पैसा आवंटित किया गया और किसी विधान सभा क्षेत्र में दो-दो या तीन-तीन ब्लॉक उसके अंतर्गत आते थे और कई विधान सभा क्षेत्र ऐसे छूट गए जिनमें एक भी सड़क नहीं आई तथा किसी-किसी ब्लॉक में, किसी कंस्टीटूएंसी में पांच-पांच, छः-छः सड़कें आई हैं। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी यह भी देखेंगी कि आज टेलीविज़न के माध्यम से हर जगह सूचना दी जाती है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनाई जा रही हैं और हमारा जो प्रदेश यह है कि कई विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रचार हो रहा है कि सड़कें बन रही हैं, जबकि वहां न प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें आई हैं और न ही बजट के अंदर सड़कें आई हैं। इससे विकास बढ़ने की जगह रुका पड़ा है। मेरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के बारे में सूचना मंगायेंगी और दूसरा जहां कि प्रधान मंत्री जी ने 2007 तक सड़कें बनाने की जो योजना बनाई है उस योजना के अंतर्गत क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगी कि कोई मास्टर प्लान तैयार कराया गया है और उसके अंतर्गत कितना पैसा रखा गया है और उस समय तक क्या हम उन सड़कों को बनाने में कामयाब होंगे? साथ ही पार्ट "सी" इसमें है कि हमारे प्रदेश में फॉरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट के अंतर्गत फॉरेस्ट के अंदर सड़कें नहीं बना सकते हैं, तो सड़कें बनाने के लिए उसमें कोई रिलैक्सेशन देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उस पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए कोई योजना विकसित की जा रही है?

श्रीमती वसुन्धरा राजे: सर, आनरेबल मैंबर की चिंता हम समझ सकगते हैं। Sir, we can understand the concern of the hon. Member. It is true that all the Members of Parliament are deeply concerned with the budgetary allcations for their districts in the States. However, I would like to make it clear here that as far as the Pradhan Mantri Gramodaya Yojana, as well as the Pradhan Mantri

Sadak Yojana is concerned, there is an allocation of Rs. 5,000 crores; for the Pradhan Mantri Gramodaya Yojana; it has been increased by Rs. 300 crores this year. But while the allocation is made by the Planning Commission, the implementation and monitoring is done by the concerned Central Ministry or the Department, along with the State Government. So far as the Pradhan Mantri Gramodaya Yojana is concerned. I have given the figures in answer to the question of the hon. Member. District-specific figures, I am afraid, I will not be able to give, because that does not come within the purview of the Planning Commission.

Sir, I will go back to the Gram Sadak Yojana. In this connection, the hon. Member has asked about the preparation; what are the elements, basically, that go into the making of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and how do we propose to connect one lakh villages in the next seven years. We are in the process of preparing a Master Plan. Considering that the scheme came into being only on the 25th December last year, the allocation made to Himachal Pradesh was Rs. 60 crores, last year. Since it is a gestation period, there are some difficulties which will have to be smoothed out between the Ministry of Rural Development and the State Government. The projects need to be put up by the States. After the preparation of the Master Plan, there will be project implementation units that need to be formed to ensure that there is timely completion of the project; what kind of execution and how it will be made; what about the standard specifications and what about the cross-drainage works; time-bound executions; penalty clauses and finally, quality control. We also need to see, at the State-level, whether there is availability of roads; who will maintain the roads; will it be the Panchayati Raj instituions; will there be locally available material; and ensuring planting of trees on either side of the road. This is the manner in which we intended to go about. But the crucial elements here are the Ministry concerned and the State Government. It is very, very important that the project is put up in a proper fashion by them so that the Ministry concerned can release it. We will be happy to allocate the funds on the basis of the budget and the plans that the States bring up to us.

श्री अनिल शर्मा: चेयरमैन सर, मैंने मंत्री जी से फॉरेस्ट एक्ट के बारे में भी पूछा था कि फॉरेस्ट एक्ट के बारे में हम कैसे अपने प्रदेश में सड़कें बना पाएंगे जिस का जवाब नहीं आया है। दूसरा सप्लीमेंटरी मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या लोक सभा में कोई ऐसा आश्वासन दिया गया था जिस के द्वारा इस योजना में लोक सभा के मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से भी पैसा आवंटन करने की सरकार की योजना है? क्या उस में राज्य सभा सांसद का भी ध्यान रखा जाएगा?

श्रीमती वसुन्धरा राजेः सर, फॉरेस्ट एक्ट के बारे में प्लानिंग कमीशन की ओर से मैं तो कह नहीं सकती। मैं ने कहा कि these are implementation issues which will be taken up by the Ministry and the State. जहां तक सांसद के भाग का सवाल है,I would like to state over here that the money is sent by the Ministry of Rural Development to the DRDAs. The idea of doing this was, basically, to decentralise the allocation of funds, to basically try and cut down on the delays that normally take place because of lean agricultural season and, maybe, money going down to the districts. Sometimes, as we know, the money is not used for the particular purpose that we send it for, but gets used for paying salaries. The DRDA has M.Ps and M.L.As. as its members; so there is a certain element of public accountability in it. The allocations need to be need-based. This can only be appreciated really at the ground level. As far as the general policy of the Ministry of Rural Development's anti-poverty scheme is concerned, money, normally, goes down from the Ministry of Rural Development to the DRDAs. Again, as I said, this is something that would be between the Ministry and the States. The Planning Commission makes the allocation to the States on the basis of the project that is put up by them.

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, this question has two parts; one is relating to the Pradhan Mantri Gramodaya Yojana; the other is relating to the Pradhan Mantri Rozgar Yojana. I find, under the Pradhan Mantri Rozgar Yojana, only Rs. 2.68 lakhs have been given for that year; and they were only for contingent component. Now, unemployment is one of the most serious problems we face in this country, particularly, in the *Pahari* areas. I am not able to understand this. Would the Minister please explain why the provision for for the Rozgar Yojana is so low? Does that mean that there are no unemployed people in Himachal Pradesh?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Setting up of postal tariff panel

* 161. SHRI NANA DESHMUKH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a separate postal tariff panel in order to phase out subsidies on postal items;